


न्यायालय ..... सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)  
अनवान - सुखविन्द कौर साहिब बनाम गोगारदी कौर  
किस्म मुकदमा :- 88,53,209 RTA प्रकरण सं. 253/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10/2/25	<p>प्राप्ली वरखे निण्डि फेरा डुता उअथ फम उपस्थित। वर वरि ल्बीमार डिमा जाता ह्य विद्वत निण्डि अला से लिखाम गामा डिफ्री जारि हा प्राप्ली नंबर से फस हा।</p> <p>निण्डि सुाम गामा</p> <p>उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)</p>	<p>GCMS 2022/395</p> 

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं० 253/22 G.C.M.S.: 2022/395

दायर दिनांक 12-09-2022

1- सुखविन्द्र कौर पत्नी सुरेश पुत्री हरनेकसिंह जाति बाजीगर साकिन हाल खाण्डा खेडी तहसील हॉसी जिला हिसार हरियाणा

2-सुनेहरी पत्नी श्री अतवारासिंह जाति बाजीगर साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ राज० हाल भुतगढ पटियाला तहसील व जिला पटियाला पंजाब

----- वादीगण

बनाम

- 1-गोगादेवी पत्नी श्री प्रीतमसिंह जाति बाजीगर साकिन वार्ड नं० 5, साधूवाली जिला श्री गंगानगर
- 2-जरनैलसिंह पुत्र श्री प्रीतमसिंह जाति बाजीगर साकिन वार्ड नं० 12 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा
- 3- सुरेश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति बाजीगर साकिन खाण्डाखेडी तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा
- 4- अमरनाथ पुत्र श्री अतवारासिंह जाति बाजीगर साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ राज०
- 5- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

----- प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राज० काश्त० अधि० 1955

उपस्थित :-

- 1- श्री कमलदत्त शर्मा अभिभाषक वादीगण ।
- 2- श्री मूलचन्द शर्मा अभिभाषक प्रतिवादी नं० 1ता 4
- 3- पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

---: निर्णय ---:

दिनांक :- 10.02.2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक वादी , अभिभाषक प्रतिवादी न० 1 ता 4 एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीया न० 1 की दादी श्रीमति अजमेरकौर पत्नी श्री प्रीतमसिंह एवं प्रतिवादी नं० 1 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 1 के एस एम तहसील सूरतगढ खाता सं० 3/43 के प० न० 231/7 मु० न० 21 के किला न० 1/1 ता 15, 19 ता 22/4.682 हे० , प०न० 231/15 मु०न० 20 के किला न० 1 ता 25/6.325 हे० कुल 11.007 हे० अ०क० खातेदारी भूमि में वादीया न० 1 की दादी श्रीमति अजमेरकौर पत्नी श्री प्रीतमसिंह का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं० 1 का 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि है । वादीया न० 1 की दादी श्रीमति अजमेरकौर पत्नी श्री प्रीतमसिंह ने उक्त जैरवाद भूमि में अपने हक व हिस्सा की भूमि जरिये बैयनामा दिनाक 27-01-2015 के श्री भानीराम पुत्र श्री बेगाराम से खरीद की है । जैरवाद भूमि 11.007 हे० अ०क० खातेदारी भूमि में वादी नं० 1 की दादी अजमेर कौर ने अपने हक व हिस्सा की 2/3 हिस्सा भूमि अर्थात 7.338 भूमि में से 1/2 हिस्सा अर्थात 3.669हे० भूमि की वसीयत दिनांक 18-06-2015 को तहरीर व तकमिल करवा कर रोबरू गवाहान प्रतिवादी सं० 2 व 3 के समक्ष नोटेरी सोहनलाल सुथार हनुमानगढ से वादी न० 1 के पक्ष में तस्दीक करवाई गई है एवं 1/2 हिस्सा अर्थात 3.669हे० भूमि की वसीयत दिनांक 04-08-2015 को तहरीर व तकमिल करवा कर रोबरू गवाहान प्रतिवादी सं० 2 व 4 के समक्ष नोटेरी सोहनलाल सुथार हनुमानगढ से वादीया न० 2 के पक्ष में तस्दीक करवाई गई है । मुताबिक वसीयत वादीगण अपने हको की घोषणा करवाने के कानून अधिकारी है । वादीया सं० 1 की दादी श्रीमति अजमेर कौर पत्नी श्री प्रीतमसिंह का देहान्त दिनांक 13-09-2020 को हो चुका है । श्रीमति अजमेर कौर पत्नी श्री प्रीतमसिंह के देहान्त के वाद मुताबिक वसीयत जैरवाद भूमि वाके चक 1 के एस एम तहसील सूरतगढ खाता सं० 3/43 की कुल 11.007 हे० अ०क० में से 1/3 हिस्सा अर्थात 3.669 हे० भूमि पर वादीया सं० 1 एवं 1/3 हिस्सा अर्थात 3.669 हे० भूमि पर वादीया सं० 2 का कब्जा कास्त बदस्तुर चला आ रहा है । जिसकी घोषणा करवाने के वादीगण कानूनी हकदार है । वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 के द्वारा संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 1 के एस एम



उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)

—2— (प्र0सं0 253/22 अनवान सुखविन्द्रकौर वगैरा बनाम गोगादेवी वगैरा)  
तहसील सूरतगढ खाता सं0 3/43 की कुल 11.007 हे0 अ0क0 का आपसी सहमति के द्वारा घरेलू बंटवारा  
किया जा चुका है। तथा इसी घरेलू बंटवारे के मुताबिक ही वादीगण कास्त करते आ रहे हैं। जो निम्न  
प्रकार से है :-

क.स.	नाम काश्तकार	चक	प0न0	किला नम्बर / रकबा
1	सुखविन्द्र कौर पत्नी सुरेश पुत्री हरनेकसिंह जाति बाजीगर साकिन हाल खाण्डा खेडी तहसील हॉसी जिला हिसार हरियाणा खातेदार	1के एस एम	231/7 (21)	6/0.076हे0, 11/0.025हे0 उतरी पासा, 12/0.025 हे0 उतरी पासा, 13/0.025हे0 उतरी पासा, 14/0.025 हे0 उतरी पासा, 15/0.026 हे0 उतरी पासा, 19/0.253 हे0, 20/1 में 0.228 हे0, 21/2 में 0.228हे0, 22/0.253 हे0 = 1.164हे0 अ0क0
			231/15 (20)	6 ता 10/1.265हे0 अ0क0, 11/0.228 हे0 उतरी पासा, 12 ता 15/1.012हे0 अ0क0 = 2.505 हे0 अ0क0 कुल 3.669 हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि
2	सुनेहरी पत्नी श्री अतवारासिंह जाति बाजीगर साकिन नोहर हाल भुतगढ पटियाला तहसील व जिला पटियाला खातेदार	1 के एस एम	231/7 (21)	1/1 में 0.228हे0, 2 ता 5/1.012हे0, 6/0.177 हे0, 7 ता 9/0.759 हे0, 10/2 में 0.228हे0 = 2.404 हे0 अ0क0
			231/15 (20)	1 ता 5/1.265 हे0 अ0क0 कुल 3.669 हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि
3	गोगादेवी पत्नी श्री प्रीतमसिंह जाति बाजीगर साकिन वार्ड नं0 5, साधूवाली तहसील व जिला श्री गंगानगर राज0 खातेदार	1 के एस एम	231/7 (21)	11/2 में 0.203 हे0 दक्षिणी पासा, 12 /0.228 हे0 दक्षिणी पासा, 13 /0.228 हे0 दक्षिणी पासा, 14 /0. 228 हे0 दक्षिणी पासा, 15 /0.227 हे0 दक्षिणी पासा = 1.114 हे0 अ0क0
			231/15 (20)	11/0.025 हे0 दक्षिणी पासा, 16 ता 25/2.555 हे0 अ0क0 कुल 3.669 हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि

वादीगण ने प्रतिवादी न0 1 के घरेलू बंटवारे के मुताबिक कब्जा कास्त के आधार पर विभाजन  
करवाने का निवेदन किया।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादी न0 1 ता 4 को जरिये सम्मन तलब  
किया गया। जिसमें प्रतिवादी न0 1 ता 4 की तरफ से विद्वान अभिभाषक मूलचन्द शर्मा एवं पेरोकार राज  
उपस्थित हुये। प्रतिवादी न0 1 ता 4 के अभिभाषक द्वारा इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया। दावे एवं  
इकबाल दावा आने के कारण तनकीयात कायम किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिस पर जिरह नहीं की गई। वादी एवं प्रतिवादीगण के  
अभिभाषक की बहस सुनी गई। जिसमें वादी के विद्वान अभिभाषक ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन  
किया कि संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 1 के एस एम तहसील सूरतगढ खाता सं0 3/43 कुल 11.007  
हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि में वादीया नं0 1 की दादी श्रीमति अजमेरकौर पत्नी श्री प्रीतमसिंह का 2/3  
हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि है। जैरवाद भूमि 11.007 हे0 अ0क0 खातेदारी  
भूमि में वादी न0 1 की दादी अजमेर कौर ने अपने हक व हिस्सा की 2/3 हिस्सा भूमि अर्थात 7.338 भूमि  
में से 1/2 हिस्सा अर्थात 3.669हे0 भूमि की वसीयत दिनांक 18-06-2015 को तहरीर व तकमिल करवा  
कर रोबरू गवाहान प्रतिवादी सं0 2 व 3 के समक्ष नोटेरी सोहनलाल सुथार हनुमानगढ से वादी न0 1 के  
पक्ष में तस्दीक करवाई गई है एवं 1/2 हिस्सा अर्थात 3.669हे0 भूमि की वसीयत दिनांक 04-08-2015 को


उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)

हरि व तकमिल करवा कर रोबरू गवाहान प्रतिवादी सं0 2 व 4 के समक्ष नोटेरी सोहनलाल सुथार हनुमानगढ से वादीया न0 2 के पक्ष में तस्दीक करवाई गई है। मुताबिक वसीयत वादीगण अपने हको की घोषणा करवाने के कानून अधिकारी है। वादीया सं0 1 की दादी श्रीमति अजमेर कौर पत्नी श्री प्रीतमसिह का देहान्त दिनांक 13-09-2020 को हो चुका है। श्रीमति अजमेर कौर पत्नी श्री प्रीतमसिह के देहान्त के वाद मुताबिक वसीयत जैरवाद भूमि वाके चक 1 के एस एम तहसील सूरतगढ खाता सं0 3/43 की कुल 11.007 हे0 अ0क0 में से 1/3 हिस्सा अर्थात 3.669 हे0 भूमि पर वादीया सं0 1 व 1/3 हिस्सा अर्थात 3.669 हे0 भूमि पर वादीया सं0 2 का कब्जा कास्त बदस्तुर चला आ रहा है। जिसकी घोषणा करवाने के वादीगण कानूनी हकदार है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के द्वारा संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 1 के एस एम तहसील सूरतगढ खाता सं0 3/43 की कुल 11.007 हे0 अ0क0 का आपसी सहमति के द्वारा घरेलू बंटवारा किया जा चुका है। तथा इसी घरेलू बंटवारे के मुताबिक ही वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 कास्त करते आ रहे हैं। जो निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	नाम काश्तकार	चक	प0न0	किला नम्बर / रकबा
1	सुखविन्द्र कौर पत्नी सुरेश पुत्री हरनेकसिह जाति बाजीगर साकिन हाल खाण्डा खेडी तहसील हॉसी जिला हिसार हरियाणा खातेदार	1के एस एम	231/7 (21)	6/0.076हे0, 11/0.025हे0 उतरी पासा, 12/0.025 हे0 उतरी पासा, 13/0.025हे0 उतरी पासा, 14/0.025 हे0 उतरी पासा, 15/0.026 हे0 उतरी पासा, 19/0.253 हे0, 20/1 में 0.228 हे0, 21/2 में 0.228हे0, 22/0.253 हे0 = 1.164हे0 अ0क0
			231/15 (20)	6 ता 10/1.265हे0 अ0क0, 11/0.228 हे0 उतरी पासा, 12 ता 15/1.012हे0 अ0क0 = 2.505 हे0 अ0क0 कुल 3.669 हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि
2	सुनेहरी पत्नी श्री अतवारासिंह जाति बाजीगर साकिन नोहर हाल भुतगढ पटियाला तहसील व जिला पटियाला खातेदार	1 के एस एम	231/7 (21)	1/1 में 0.228हे0, 2 ता 5/1.012हे0, 6/0.177 हे0, 7 ता 9/0.759 हे0, 10/2 में 0.228हे0 = 2.404 हे0 अ0क0
			231/15 (20)	1 ता 5/1.265 हे0 अ0क0 कुल 3.669 हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि
3	गोगादेवी पत्नी श्री प्रीतमसिह जाति बाजीगर साकिन वार्ड नं0 5, साधूवाली तहसील व जिला श्री गंगानगर राज0 खातेदार	1 के एस एम	231/7 (21)	11/2 में 0.203 हे0 दक्षिणी पासा, 12 /0.228 हे0 दक्षिणी पासा, 13 /0.228 हे0 दक्षिणी पासा, 14 /0.228 हे0 दक्षिणी पासा, 15 /0.227 हे0 दक्षिणी पासा = 1.114 हे0 अ0क0
			231/15 (20)	11/0.025 हे0 दक्षिणी पासा, 16 ता 25/2.555 हे0 अ0क0 कुल 3.669 हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि

उक्त घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 का कब्जा कास्त चला आ रहा है इसी मुताबिक वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर खाता विभाजन कर डिक्री पारित की जावे। अभिभाषक प्रतिवादी सं0 1 ता 4 भी इसी अनुसार खाता विभाजन किये जाने में सहमति प्रकट की एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के शपथ-पत्र पेश किये।

बहस सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन करते हुये वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा व सहमति-पत्र, गवाहान के शपथ-पत्र पर गौर किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 द्वारा खाता विभाजन कब्जा कास्त के मुताबिक मांगा गया जिस पर दोनों पक्षकारों द्वारा कोई भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। इसलिए मुताबिक वसीयत वादीगण को खातेदार कृषक घोषित कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 के कब्जा काश्त खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते हैं।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)

--4-- (प्र०सं० 253/22 अनवान सुखविन्द्रकौर वगैरा बनाम गोगादेवी वगैरा)

अतः उक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त रकबा चक 1 के एस एम तहसील सूरतगढ खाता सं० 3/43 के पं० नं० 231/7 मु० नं० 21 के किला नं० 1/1 ता 15, 19 ता 22/4.682 हे० , पं०नं० 231/15 मु०नं० 20 के किला नं० 1 ता 25/6.325 हे० कुल 11.007 हे० अ०क० खातेदारी भूमि में 2/3 हिस्सा का वादीगण को मुताबिक वसीयत खातेदार कृषक घोषित कर निम्न प्रकार खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है:-

क्र.स.	नाम काश्तकार	चक	प०न०	किला नम्बर / रकबा
1	सुखविन्द्र कौर पत्नी सुरेश पुत्री हरनेकसिह जाति बाजीगर साकिन हाल खाण्डा खेडी तहसील हॉसी जिला हिसार हरियाणा खातेदार	1के एस एम	231/7 (21)	6/0.076हे०, 11/0.025हे० उतरी पासा, 12/0.025 हे० उतरी पासा, 13/0.025हे० उतरी पासा, 14/0.025 हे० उतरी पासा, 15/0.026 हे० उतरी पासा, 19/0.253 हे० , 20/1 में 0.228 हे०, 21/2 में 0.228हे० , 22/0.253 हे० = 1.164हे० अ०क०
			231/15 (20)	6 ता 10/1.265हे० अ०क० , 11/0.228 हे० उतरी पासा , 12 ता 15/1.012हे० अ०क० = 2.505 हे० अ०क० कुल 3.669 हे० अ०क० खातेदारी भूमि
2	सुनेहरी पत्नी श्री अतवारासिंह जाति बाजीगर साकिन नोहर हाल भुतगढ पटियाला तहसील व जिला पटियाला खातेदार	1 के एस एम	231/7 (21)	1/1 में 0.228हे० , 2 ता 5/1.012हे० , 6/0.177 हे०, 7 ता 9/0.759 हे० , 10/2 में 0.228हे० = 2.404 हे० अ०क०
			231/15 (20)	1 ता 5/1.265 हे० अ०क० कुल 3.669 हे० अ०क० खातेदारी भूमि
3	गोगादेवी पत्नी श्री प्रीतमसिह जाति बाजीगर साकिन वार्ड नं० 5, साधूवाली तहसील व जिला श्री गंगानगर राज० खातेदार	1 के एस एम	231/7 (21)	11/2 में 0.203 हे० दक्षिणी पासा , 12 /0.228 हे० दक्षिणी पासा , 13 /0.228 हे० दक्षिणी पासा, 14 /0.228 हे० दक्षिणी पासा, 15 /0.227 हे० दक्षिणी पासा = 1.114 हे० अ०क०
			231/15 (20)	11/0.025 हे० दक्षिणी पासा, 16 ता 25/2.555 हे० अ०क० कुल 3.669 हे० अ०क० खातेदारी भूमि

इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है । रकबा रहन हो तो रहन का अंकन यथावत रखा जावे तथा इसी अनुसार आदेश दिये जाने की डिक्री जारी हो । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10-02-25 को खुले न्यायालय में सनाया गया ।

(सदीप कुमार)  
सहायक कलेक्टर एवं  
सूरतगढ (राज०)  
खाण्डा अधिकारी  
(राजस्व) सूरतगढ

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकदम इश्तदाई

राज अदालत-सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्री गंगानगर  
बइजलास - श्री संदीप कुमार आर. ए. एस.

अनवान :

- 1- सुखविन्द्र कौर पत्नी सुरेश पुत्री हरनेकसिह जाति बाजीगर साकिन हाल खाण्डा खेडी तहसील हाँसी जिला हिसार हरियाणा
- 2-सुनेहरी पत्नी श्री अतवारासिंह जाति बाजीगर साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ राज0 हाल भुतगढ पटियाला तहसील व जिला पटियाला पंजाब ----- वादीगण  
बनाम

- 1-गोगादेवी पत्नी श्री प्रीतमसिह जाति बाजीगर साकिन वार्ड नं0 5, साधूवाली तहसील व जिला श्री गंगानगर
- 2-जरनैलसिह पुत्र श्री प्रीतमसिंह जाति बाजीगर साकिन वार्ड नं0 12 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा
- 3- सुरेश पुत्र श्री रामचन्द्र जाति बाजीगर साकिन खाण्डाखेडी तहसील हाँसी जिला हिसार हरियाणा
- 4- अमरनाथ पुत्र श्री अतवारासिंह जाति बाजीगर साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ राज0
- 5- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ । ----- प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 आर. टी. ए. मुकदमा नं0 253 वर्ष 2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रुबरु हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी कमलदत्त शर्मा एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 4 का अभिभाषक मूलचन्द शर्मा व राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिकी जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :-  
चक 1 के एस एम तहसील सूरतगढ खाता सं0 3/43 के पं0 नं0 231/7 मु0 नं0 21 के किला नं0 1/1 ता 15, 19 ता 22/4.682 हे0 , पं0नं0 231/15 मु0नं0 20 के किला नं0 1 ता 25/6.325 हे0 कुल 11.007 हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि में 2/3 हिस्सा का वादीगण को मुताबिक वसीयत खातेदार कृषक घोषित कर निम्न प्रकार खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है:-

क्र.स.	नाम काश्तकार	चक	प0न0	किला नम्बर / रकबा
1	सुखविन्द्र कौर पत्नी सुरेश पुत्री हरनेकसिह जाति बाजीगर साकिन हाल खाण्डा खेडी तहसील हाँसी जिला हिसार हरियाणा खातेदार	1के एस एम	231/7 (21)	6/0.076हे0, 11/0.025हे0 उतरी पासा, 12/0.025 हे0 उतरी पासा, 13/0.025हे0 उतरी पासा, 14/0.025 हे0 उतरी पासा, 15/0.026 हे0 उतरी पासा, 19/0.253 हे0 , 20/1 में 0.228 हे0, 21/2 में 0.228हे0 , 22/0.253 हे0 = 1.164हे0 अ0क0
			231/15 (20)	6 ता 10/1.265हे0 अ0क0 , 11/0.228 हे0 उतरी पासा , 12 ता 15/1.012हे0 अ0क0 = 2.505 हे0 अ0क0 कुल 3.669 हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि
2	सुनेहरी पत्नी श्री अतवारासिंह जाति बाजीगर साकिन नोहर हाल भुतगढ पटियाला तहसील व जिला पटियाला खातेदार	1 के एस एम	231/7 (21)	1/1 में 0.228हे0 , 2 ता 5/1.012हे0 , 6/0.177 हे0, 7 ता 9/0.759 हे0 , 10/2 में 0.228हे0 = 2.404 हे0 अ0क0
			231/15 (20)	1 ता 5/1.265 हे0 अ0क0 कुल 3.669 हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि
3	गोगादेवी पत्नी श्री प्रीतमसिह जाति बाजीगर साकिन वार्ड नं0 5, साधूवाली तहसील व जिला श्री गंगानगर राज0 खातेदार	1 के एस एम	231/7 (21)	11/2 में 0.203 हे0 दक्षिणी पासा , 12 /0.228 हे0 दक्षिणी पासा , 13 /0.228 हे0 दक्षिणी पासा, 14 /0.228 हे0 दक्षिणी पासा, 15 /0.227 हे0 दक्षिणी पासा = 1.114 हे0 अ0क0
			231/15 (20)	11/0.025 हे0 दक्षिणी पासा, 16 ता 25/2.555 हे0 अ0क0 , कुल 3.669 हे0 अ0क0 खातेदारी भूमि

इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है । रकबा रहन हो तो रहन का अंकन यथावत रखा जावे

नोज़ ...x.....मुबलिंग ...x.....बाबत .....x.....खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...x.....फसदो की पालना...  
...x.....आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।  
बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10.02.25 को जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राजस्व) सूरतगढ